न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा, जिला बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— राजेश जोशी, आर.ए.एस.

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11/प्रा.पत्र/2017	01.03.2017	25.09.2017

स्वरूप सिंह बनाम भीम सिंह वगै0

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट

प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामदत्त शर्मा

उपस्थित अप्रार्थी एक लगायत तीन की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार दाधिच

निर्णय

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी गण ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधिकार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में प्रस्तुत किया । संक्षेप में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है:—

1. कृषि भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा एवं ख0स0 111 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 156 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, ख.सं. 200 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ख.सं. 201 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख.सं. 222 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं. 223 रकबा 5 बिस्वा, ख.सं. 224 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं. 225 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख.सं. 413 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 60 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थत है। उक्त आराजी के सबंध में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी 1/4 हिस्से का खातेदार व 1/2 हिस्से का खातेदार अप्रार्थी भीमसिंह, भंवरसिह व सम्पत कंवर अंकित है शेष 1/4 हिस्से में अप्रार्थी मोहन कंवर का नाम अंकित है। उक्त आराजी के किसी भी भू—भाग पर मोहन कंवर का कब्जा नही है। प्रार्थी 1/4 हिस्से पर काबिज है शेष जमीन पर अप्रार्थी 1 लगायत 3 काबिज है। दो दिन पूर्व ही कोटा के निवासी जमीन पर आये उनसे पुछताछ करने पर उन्होने बताया कि हम जमीन खरीदने आये है। मोहन कंवर से जमीन खरीदने की बातचीत चल रही है। मूलवाद में प्रार्थी की साक्ष्य हो गई। अप्रार्थी मोहन कंवर के द्वारा दौराने वाद जमीन बेचान कर दी जायेगी तो अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढेगी। इस कारण प्रार्थी के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है और अन्त में प्रार्थीगण के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें ओर किसी अन्य को हस्तांतरित नही करे ओर नही ऐसा किसी अन्य से करवायें।

2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 में अपना जवाब प्रस्तुत करते हुये अभिव्यक्त किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को प्रार्थी के प्रा. पत्र को स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही है तथा अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध दिनांक 19.04.17 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

3. प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में न्यायालय को निम्न तीन बिन्दु देखने होते है कि क्या प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है।

4. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

जहां तक प्रश्न प्रथम दृष्टया मामले से संबधित है तो प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है जो राजस्व रिकोर्ड से प्रमाणित है तथा प्रार्थी के प्रा.पत्र को अप्रार्थी 1 लगायत 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है इस कारण विवादित भूमि के प्रत्येक इंच हिस्से पर प्रत्येक खातेदार का हक व अधिकार निहित है तथा बंटवारे का वाद विचाराधीन है जिसमें उभयपक्षो की साक्ष्य होना बाकी है। इस दौरान अप्रार्थीगण ने भूमि का रहन,बेचान कर दिया तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद बढेगा।अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाये जाने से यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

5. <u>सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षतिः–</u>

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दौराने वाद यदि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 ने वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन बैचान भारग्रस्त कर दिया तथा प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर दिया तो अनावश्यक विवाद बढेगा तथा प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा जिससे प्रार्थी को घोर असुविधा का सामना करना पडेगा। उसे ऐसी क्षति कारित होगी जिसका आकलन मुद्रा में सम्भव नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के अनुसार किसी भी प्रकार की असुविधा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को नही होगी। दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। प्रार्थी मौके पर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है जो स्वीकृत स्थिति है। यदि अप्रार्थी सं. 4 के द्वारा विवादित भूमि का रहन, बेचान किया गया तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल किया गया तो प्रार्थी को घोर असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रार्थीगण की विधिक अधिकारों की क्षति होगी तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की अपेक्षा प्रार्थी को घोर असुविधा होगी तथा प्रार्थी को ऐसी क्षति कारित होने की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता जिसकी भरपाई मुद्रा में किया जाना संभव हो। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सुविधा को संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
चालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner